

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2010/ 886

अप्रैल/April 26, 2010

परिपत्र : सीएचएसएस, कोलकाता
CIRCULAR : CHSS, Kolkata

विषय : सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत रुबी अस्पताल , कोलकाता को अतिविशिष्ट अस्पताल के रूप में मान्यता दिया जाना

Sub : Recognition of RUBY Hospital, Kolkata as a Superspeciality Hospital under CHSS Kolkata

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अस्पताल को तात्कालिक प्रभावी से आउटडोर तथा इनडोर चिकित्सा के लिए सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत आनेवाले अतिविशिष्ट अस्पतालों की सूची में शामिल किया गया है :

This is to notify that the following hospital has been included in the list of Superspeciality Hospitals under CHSS, Kolkata for OPD and Indoor treatment with immediate effect :

रुबी जेनरल हॉस्पिटल लि.
कस्बा गोलपार्क, ईएम बाईपास,
कोलकाता - 700 107

फोन नं : 2442 20291/6091/6576, 3987, 1800

RUBY General Hospital Ltd.
Kasba Golpark, E.M. Bypass,
Kolkata- 700 107

Phone: 2442 0291/ 6091/ 6576, 3987 1800

क्रेडिट आधार पर रुबी अस्पताल में चिकित्सीय उपचार कराने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि बनाई गई है/ The following procedure has been formulated for availing medical treatment at RUBY Hospital **on credit basis**:

1. सीएचएसएस लाभार्थी चिकित्सा अधिकारी, वीईसीसी या सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत मुख्य (Base) अस्पताल (अर्थात् मिशन ऑफ मर्सी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कोलकाता) द्वारा भेजे जाने पर ही उक्त अस्पताल में क्रेडिट आधार पर ओपीडी तथा इनडोर चिकित्सीय उपचार का लाभ उठा सकेंगे। रुबी अस्पताल में पंजीकरण के लिए लाभार्थी पंजीकरण पटल पर वैध सीएचएसएस कार्ड तथा मूल रेफरल नोट प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण के उपरान्त, उक्त अस्पताल मूल रेफरल नोट रख लेगा और सीएचएसएस कार्ड लाभार्थियों को लौटा देगा।

CHSS beneficiaries will be able to avail of both OPD and Indoor medical treatment from the said Hospital on credit basis only when referred by Medical Officer, VECC or Base Hospital under CHSS, Kolkata (i.e. Mission of Mercy Hospital & Research Centre, Kolkata). During visit to RUBY Hospital,

beneficiaries shall produce valid CHSS Card and original Referral letter at the Registration Counter for the purpose of registration. After registration, the Hospital will retain the original Referral letter and return the CHSS Card to the beneficiaries.

2. अस्पताल में पंजीकरण के लिए रेफरल नोट जारी होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के लिए वैध रहेगा। एक बीमारी (प्रसूति मामलों को छोड़कर) के लिए ओपीडी में उपचार अवधि 3 महीने या 6 परामर्शों , जो भी पहले हो , तक ही सीमित रहेगी । प्रसूति मामलों के लिए ओपीडी में उपचार अवधि परिरोध या 8 परामर्शों, जो भी पहले हो, तक ही सीमित रहेगी। फिर भी , यदि कोई डाक्टर किसी लाभार्थी को एक वर्ग से दूसरे वर्ग (अर्थात ईएनटी से नेफ्रोलॉजी) के लिए रेफर करता है तो लाभार्थी को अगला उपचार कराने की भी अनुमति होगी । तथापि , उपचार अवधि की सीमा तथा परामर्शों की संख्या पर रोक लागू रहेंगे ।

Referral letter shall remain valid for a period of seven working days from the date of its issue for the purpose of registration at the Hospital. Duration of treatment in OPD will be limited to three months or six consultations, whichever is earlier for a particular ailment (except maternity cases). For maternity cases, the duration of treatment in OPD will be limited to the period of confinement or eight consultations, whichever is earlier. If, however, an OPD doctor refers a beneficiary from one discipline to another discipline (e.g. from ENT to Nephrology), the beneficiary will be allowed to take further treatment. However, limitation of period of treatment and restriction of number of consultations will still apply.

3. ओपीडी में अस्पताल द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट आधार पर कोई दवा नहीं दी जायेगी। फिर भी, नियमों के अनुसार दवा खरीदने के बाद प्रस्तुत दावे की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इनडोर चिकित्सा के लिए क्रेडिट आधार पर लाभार्थियों को दवा दी जायेगी ।

In OPD, no medicines will be provided to the beneficiaries by the Hospital on credit basis. However, claims submitted after purchase of medicines will be reimbursed as per extant rules. In case of indoor treatment, medicines will be supplied to the beneficiaries on credit basis.

4. लाभार्थियों को जब कभी आवश्यकता पड़ने पर विशेष नर्स /आया / विशेष एटेंडेन्ट की व्यवस्था खुद करनी होगी ।

Special Nurse/Aya/Special Attendant, wherever needed, shall be arranged by the beneficiaries at their own cost.

5. विशेष क्लिनिक ओपीडी क्रेडिट सुविधा में सम्मिलित नहीं हैं ।

OPD Speciality Clinic is not covered under credit facility.

6. रुबी अस्पताल में शय्या हकदारी इस प्रकार से है :

Entitlement of bed in RUBY Hospitals is as follows :

I तथा I(आर)
I and I(R)

प्राइवेट वार्ड
Private Ward.

II तथा II(आर)
II and II(R)

दो शय्या वाला वार्ड
Two bedded Ward

II तथा II(आर)
III and III(R)

चार शय्या वाला वार्ड
Four bedded Ward.

सभी सीएचएसएस लाभार्थियों से अनुरोध है कि उपर वर्णित क्रियाविधियों का कडाई से पालन करें तथा इस मामले में सहयोग करें ।

All CHSS beneficiaries are requested to strictly follow the above procedure and cooperate in the matter.

इसे निदेशक, वीईसीसी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।
This is issued with the approval of Director, VECC.



(के. गोपालकृष्णन / K. Gopalakrishnan)

प्रशासनिक अधिकारी-III/Administrative Officer-III

सभी सूचना पट्ट /All Notice Boards

प्रतिलिपि:/Copy

1. निदेशक का कार्यालय, वीईसीसी, कोलकाता ।
2. अध्यक्ष, सीएचएसएस समिति, कोलकाता ।
3. सतर्कता अधिकारी, वीईसीसी, कोलकाता ।
4. सभी वर्ग/प्रभाग / अनुभाग प्रमुख, वीईसीसी, कोलकाता ।
5. प्रमुख, चिकित्सा अनुभाग, वीईसीसी कोलकाता ।
6. उप लेखा नियंत्रक, वीईसीसी, कोलकाता ।
7. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वीईसीसी, कोलकाता ।
8. परियोजना अभियंता, डीसीएसईएम (ईआर), कोलकाता ।
9. सम्पर्क कार्यालय, एएमडी (ईआर), कोलकाता ।
10. प्रमुख, सीई, एनपीसीआईएल, कोलकाता एकक
11. क्रय अधिकारी, सीआरपीयू, कोलकाता ।
12. सहा भंडार अधिकारी, सीआरएसयू, कोलकाता ।
13. सहा. लेखा अधिकारी, सीआरएसयू, कोलकाता ।
14. सचिव, वीईसीसी. कर्मचारी संगठन ।
15. सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत आने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी ।